भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1304**

उत्तर देने की तारीख 30.07.2026

**कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन**

**1304. डा. दिनेश शर्मा :**

**श्री बृज लाल :**

**डा. सिकंदर कुमार :**

**डा. कल्पना सैनी :**

**श्रीमती रेखा शर्मा :**

**श्री शिवेश कुमार :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत वे कौन-से विशिष्ट उप-घटक और विशेष श्रेणियां हैं जिनके लिए मंत्रालय ने अनुदान वर्ष 2026-27 हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने पूर्णतः निर्बाध, कागज-रहित और पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु अपने डिजिटल पोर्टलों को उन्नत किया है;

(ग) वर्ष 2026-27 के चक्र हेतु गुरु-शिष्य परंपरा और रिपर्टरी अनुदान सहित योजना के विभिन्न घटकों के लिए कौन-सी विशिष्ट समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं; और

(घ) समतामूलक सांस्कृतिक संवर्धन सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए अधिकतम जागरूकता और आवेदन प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'कला संस्कृति विकास योजना' (केएसवीवाई) कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत देश भर के पात्र सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित स्कीम घटकों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं:

| क्र. सं. | स्कीम घटक | आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख |
|---|---|---|
| i. | गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) | 15.07.2026 |
| ii. | सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान स्कीम (सीएफपीजीएस) | 07.07.2026 |
| iii. | राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता | 15.07.2026 |
| iv. | संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना | 31.7.2026 |
| v. | विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | 31.7.2026 |
| vi. | सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | 15.7.2026 |

मंत्रालय, गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम (रेपर्टरी अनुदान स्कीम) के अंतर्गत एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है ताकि संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से निर्बाध, कागज रहित (पेपरलेस) और पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।

(घ): ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए, संस्कृति मंत्रालय समाचार पत्र में विज्ञापनों, मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) और अकादमियों के माध्यम से अपनी स्कीमों का प्रचार-प्रसार करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

इसके अलावा, मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेसीसी) और अकादमियों के माध्यम से, ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अपने स्थापित नेटवर्क के माध्यम से कलाकारों और अन्य संभावित आवेदकों के बीच अपनी स्कीमों के लाभों और प्रावधानों से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान संचालित करता है।

*****